प्रेस-नोट

दिनांक -15.06.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में डायल-112 गोंडा को प्राप्त 20 नये चार पहिया वाहन (स्कार्पियो) तथा 15 दो पहिया वाहन (पल्सर) को हरी झण्डी दिखाकर किया गया रवाना-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद गोंडा को प्राप्त नये पीआरवी वाहनों को प्र0नि0 डायल-112 द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आपाताकालीन पुलिस सेवा को और प्रभावी तथा बेहतर बनाने हेतु डायल-112 मुख्यालय से जनपद गोंडा को अतिरिक्त 20 नये चार पहिया वाहन (स्कार्पियो) तथा 15 दो पहिया वाहन (पल्सर) प्राप्त हुए हैं । पुलिस लाइन गोण्डा में प्र0नि0 डायल 112 श्री रामपाल यादव द्वारा हरी झण्डी दिखाते हुए पीआरवी वाहनों को रवाना किया गया जो सम्बन्धित थानों के क्षेत्रान्तर्गत तैयार किये गये रूट चार्ट के अनुसार फील्ड में आपरेशनल किया गया है। इन स्कॉर्पियो में तीन कैमरों से लैस की गई हैं। यह घटनास्थल पर 360 डिग्री पर करीब दो किमी दूरी तक की रिकॉर्डिंग कर सकेंगी। यह रिकॉर्डिंग डाटा एक माह के लिए सुरक्षित रहेगा। इस सुविधा के बाद पुलिस को सही अपराधियों तक पहुंचने और घटनाओं के खुलासे में मदद मिलेगी। डायल-112 में नये पीआरवी वाहनों के शामिल होने से आपातकालीन पुलिस सेवा और बेहतर तथा प्रभावाशाली होगी। नये पीआरवी वाहनों के आऩे से तैनात पीआरवी वाहनों की सघनता में वृद्धि होगी जिससे रिस्पांस टाइम में सुधार करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार जनपद गोंडा में कुल 49 चार पहिया वाहन व 26 दो पहिया वाहन की संख्या हो गई है।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक, प्रभारी परिवहन शाखा श्री महेंद्र प्रसाद यादव एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

प्रेस नोट
दिनांक 15.06.2024, संपूर्ण समाधान दिवस
जनपद गोण्डा।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील कर्नलगंज में जनसमस्याओं को सुना गया एवं उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया-

आज दिनांक 15.06.2024 को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में कर्नलगंज तहसील गोण्डा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान अधिकारीगणों द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकारीगणों द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा-निर्देशों से अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को अवगत कराते हुये प्रार्थना-पत्रों की समयबद्ध जांच, कार्यवाही एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा तहसील मनकापुर पर जनता की जनसमस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपजिलाधिकारी कर्नलगंज, क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज, तहसीरदार सदर, प्र0नि0 को0 कर्नलगंज आदि सहित राजस्व व पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 15.06.2024, मॉनीटरिंग सेल,
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज मृत्यु के 03 आरोपी अभियुक्तों को हुई 10-10 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 70,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप दहेज मृत्यु करने के आरोपी अभियुक्तों 01. शोभाराम साहू, 02. श्रीमती सीतापति, 03. पवन साहू को 10-10 वर्षों का कारावास व प्रत्येक को रु० 70,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना कोतवली नगर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोप में आरोपी अभियुक्तों – 01. शोभाराम साहू, 02. श्रीमती सीतापति, 03. पवन साहू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, थाना कोतवाली नगर के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोण्डा द्वारा अभियुक्तों को 10-10 वर्षों का कारावास व रु० 70,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. शोभाराम साहू पुत्र स्व0 निबर साहू निवासी छबीलेपुरवा मौजा गंगापुर थाना को0नगर, गोण्डा।
02. श्रीमती सीतापति पुत्र शोभाराम निवासी छबीलेपुरवा मौजा गंगापुर थाना को0नगर, गोण्डा।
03. पवन साहू पुत्र शोभाराम निवासी छबीलेपुरवा मौजा गंगापुर थाना को0नगर, गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 -18/2019 धारा 498ए, 304B, 306 भादवि 3/4 DP एक्ट थाना को0नगर जनपद गोंडा।

मीडिया सेल, गोण्डा।